JEEViKA
BIHAR RURAL LIVELIHOODS PROMOTION SOCIETY
Vidyut Bhawan, Annexe - II, 1st Floor, Bailey Road, Patna - 800 021
Phone/Fax :+91-612-2504980/2504981/6452349, Email : info@brlp.in, Website :http//www.brlp.in

Ref: BRLPS/HRD/MNP- **Date:**

सेवा में,

....

....

विषयः <u>सामुदायिक समन्वयक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव पत्र।</u>

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के लिए **सामुदायिक समन्वयक** पद हेतु आयोजित चयन प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर आपका चयन उपर्युक्त पद पर किया गया है। आपका चयन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार मान्य होगा–

1. आपकी नियुक्ति बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एवं आपके बीच सेवा शर्तों के लिए निर्धारित अनुबंध के अंतर्गत की जाएगी। यह अनुबंध समयाधारित होगा। यह अनुबंध आपकी नियुक्ति के दिन से 30.09.12 तक मान्य रहेगा।
2. आपकी नियुक्ति बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा परिचालित जीविका परियोजना के अंतर्गत की जाएगी।
3. आपकी नियुक्ति परियोजना के प्रखंड क्रियान्वयन इकाई के संकुल/गांव स्तर पर की जाएगी। आवश्यकतानुसार आपका स्थानांतरण परियोजना की अन्य इकाइयों में किया जा सकता है।
4. आपको **04.01.2010** को **10** बजे तक जीविका परियोजना के कार्यालय के निम्न पते पर योगदान देना होगा–

   जीविका,
   बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
   राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई ।
   विद्युत भवन, एनेक्सी -2
   पटना -8000021

5. योगदान के समय SIDS द्वारा लिखित परीक्षा हेतु जारी मूल प्रवेश पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र एवं आवासीय प्रमाणपत्र की मूल प्रति तथा इनकी छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। सभी प्रमाणपत्र आपके द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान किये गये दावे के अनुसार होना चाहिए। जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बिहार सरकार की सेवाओं में आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में **अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उनके वरीय प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।** सेवा में योगदान के समय सामान्य चिकित्सक द्वारा जारी किया गया शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की मूल प्रति भी आपको प्रस्तुत करनी होगी।
6. उपरोक्त सभी दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् ही आपका योगदान सामुदायिक समन्वयक पद के लिए स्वीकार किया जाएगा।
7. योगदान के पश्चात् आपको अगले 20 दिनों के लिए गहन प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण स्तर पर आयोजित आवासीय प्रशिक्षण में सम्मलित होना होगा। इसके पश्चात् आपका वास्तविक पदस्थापन किया जाएगा। यह अपेक्षित है कि आप तद्नुसार तैयारी के साथ आएँ।
8. आपकी नियुक्ति के प्रारंभिक तीन महीने परिवीक्षा अवधि की होगी। इस परिवीक्षा अवधि में आपके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद ही यह अवधि पूर्ण मानी जाएगी। आपका कार्य असंतोषजनक पाया गया तो नियुक्ति अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

9. परिवीक्षा अवधि के दौरान आपको परियोजना द्वारा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होना होगा, तदुपरांत आपका वास्तविक पदस्थापन किया जाएगा। यह पदस्थापन परियोजना जिलों के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। इस स्थिति में समिति के अंतर्गत लागू स्थानातंरण भत्ता देय नहीं होगा।

10. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति में आपकी सेवाओं के लिए आप का मानदेय निम्न प्रकार होगा–

- **मूल मासिक वेतन–** 4200.00
- **मकान किराया भत्ता–** 630.00
- **परियोजना भत्ता–** 1100.00
- **बच्चों की शिक्षा का भत्ता–** 200.00/**प्रति माह/संतान (दो बच्चों तक)**
- **नियोक्ता का भविष्य निधि अशंदान–** 572.00

इसके अलावा आपको वार्षिक प्रोत्साहन वेतन (मूल वार्षिक वेतन का 0 से 15 प्रतिशत तक) वार्षिक कार्य उपलब्धि के मूल्यांकन के अनुसार दिया जाएगा।

इनके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमान्य चिकित्सा दावा एवं दुर्घटना बीमा का भी लाभ आपको अनुमान्य होगा।

11. परियोजना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गए कार्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता समिति के निर्धारित नियमों के अनुसार देय होगा। इसके अलावा अवकाश एवं अन्य सुविधाएं भी नियमानुसार आपके लिए मान्य होगी।
12. बढ़े हुए निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए मूल वेतन का पाँच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के तौर पर दिया जा सकता है जो कि प्रबंधन के विवेक पर निर्भर करेगा।
13. विच्छिन्नता की स्थिति में कोई भी पक्ष एक महीने की सूचना अथवा एक महीने के वेतन देकर नियुक्ति अनुबंध रद्द कर सकता है।
14. नियुक्ति पत्र के 45 दिनों के अंदर आपको Rs. 20000.00 का फिडेलिटी गारंटी का बीमा किसी प्रतिष्ठत बीमा सेवा प्रदाता एजेंसी से करवा कर जमा करना होगा।
15. उल्लिखित योगदान तिथि के दौरान योगदान न देने की स्थिति में नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।
16. आपकी नियुक्ति आपके द्वारा दावा किये गये योग्यताओं एवं प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की सत्यता के आधार पर की जाएगी। आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/प्रमाणपत्रों में किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

प्रशासी पदाधिकारी